1118 — 4-5-12

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 2, गुरुवार, शाके 1934–मार्च 22, 2012
Chaitra 2, Thursday, Saka 1934—March 22, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2012

संख्या प.3(47)वन/2008 :–वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–53) की धारा 36 ए की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार झुंझुनूं जिले के बीड़ झुंझुनूं रक्षित वन खण्ड, जो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7 (373) रा.वि./68 दिनांक 9 जनवरी, 1969 के अनुसार रक्षित वन खण्ड घोषित किया जा चुका है, की निम्न अनुसूची में वर्णित रक्षित वन भूमि को परिस्थितिकीय एवं प्राणीजातीय, वनस्पतीय एवं भू–सरंचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा "कंजरवेशन रिजर्व" घोषित करती है। इसे भविष्य में "बीड़ झुंझुनूं कंजरवेशन रिजर्व" के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा। बीड झुन्झुनूं कंजरवेशन रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1047.48 हैक्टर है।

अनुसूची

उत्तर	:–	सीमा ग्राम देसूसर
दक्षिण	:–	सीमा ग्राम समसपुर
पूर्व	:–	सीमा ग्राम चारणवास
पश्चिम	:–	काश्त भूमि कस्बा, झुन्झुनूं

राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : प.3(47)वन/2008 जयपुर, दिनांक: 02.05.2012

आज्ञा

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 36 बी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा "बीड झुन्झुनू कन्जरवेशन रिजर्व" के संरक्षण, प्रबन्ध एवं रख रखाव तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को परामर्श देने के लिए निम्नानुसार प्रबन्धन समिति का गठन करती है, अर्थात्:-

1	सरपंच ग्राम पंचायत, प्रतापपुरा	सदस्य
2	श्री निरंजन सिंह, अध्यक्ष, समग्र विकास संस्थान, झुन्झुनू	सदस्य
3	श्री राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, जिला पर्यावरण सुधार समिति, झुन्झुनू	सदस्य
4	श्री राजन चौधरी, सचिव, एस.आर.के.पी.एस., झुन्झुनू	सदस्य
5	उप निदेशक, पशुपालन विभाग, झुन्झुनू	सदस्य
6	उप निदेशक, कृषि विभाग, झुन्झुनू	सदस्य
7	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	सदस्य सचिव

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 36 बी की उप-धारा (3) के अनुसार उक्त समिति अध्यक्ष स्वयं चुनेगी एवं प्रबन्धन व रख रखाव के लिए प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करेगी।

आज्ञा से,

(सी.एस. रत्नासामी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव/मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
10. वन संरक्षक, सीकर।
11. जिला कलक्टर, झुंझुनूं।
12. उप वन संरक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि प्रति संबंधित सदस्यों को अपने स्तर से वितरित करावे।
13. प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुभाग-8
14. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को मय सी.डी. के प्रेषित कर लेख है कि असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर 50 अतिरिक्त प्रतियां भिजवाये।
15. गार्ड पत्रावली।

शासन सचिव